भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 201

09 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न

खाद्यान्नों की खरीद हेतु मानदंड

***201. श्री भर्तृहरि महताब:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान बेमौसम वर्षा से उत्पन्न स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने तथा उन्हें अपनी फसल को औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होने से बचाने के लिये केन्द्रीय पूल के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद हेतु गुणवत्ता संबंधी मानदंडों में रियायत दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों का योजना/कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत ऐसे खाद्यान्नों के भंडार का अब तक उपयोग किया गया है;

(घ) रियायत-प्रदत्त मानदंडों के अंतर्गत ऐसे खाद्यान्नों की खरीद में हुई अनियमितताओं की उन शिकायतों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जो उक्त अवधि के दौरान सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ड.) किसानों को खाद्यान्नों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा साथ ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों के संपूर्ण भंडार की समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी हां। खाद्यान्नों की एकसमान विनिर्दिष्टियां (खरीद संबंधी मानदंड) इस विभाग द्वारा तैयार की जाती हैं। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारें तथा उनकी एजेंसियां किसानों से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों, जो एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं, की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करती हैं। कभी-कभी बेमौसम वर्षा, असमय वर्षा, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण, जिनसे खाद्यान्नों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, सरकार किसानों को मजबूरी में बिक्री से बचाने के लिए उनके लाभार्थ संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर खरीद संबंधी मानदंडों में छूट प्रदान करती है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान दी गई छूट का राज्यवार/जिन्सवार ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ग): छूट प्राप्त विनिर्दिष्टियों के तहत खरीदे गए खाद्यान्न किसी विशिष्ट स्कीम/कार्यक्रम के लिए निर्धारित नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत धान जारी नहीं की जाती है। धान की मिलिंग की जाती है और प्राप्त चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किया जाता है।

(घ): अब तक इस संबंध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ): कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यान्नों सहित 22 कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य संस्तुत करने का अधिदेश दिया गया है।

खाद्यान्नों हेतु लाभकारी मूल्य और किसानों से इनकी यथासमय खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 201 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान खरीद संबंधी मानदंडों में दी गई छूट का राज्यवार और जिन्सवार ब्यौरा

वर्ष	राज्य	रिफ्रैक्शन के नाम	एकसमान विनिर्दिष्टियों की सीमा	शिथिल की गई विनिर्दिष्टियों की सीमा
1. गेहूँ				
2019-20	मध्य प्रदेश	चमक विहीन	पूर्ण चमक युक्त	70% तक
	पंजाब	चमक विहीन	पूर्ण चमक युक्त	75% तक
	हरियाणा	चमक विहीन	पूर्ण चमक युक्त	90% तक
		सिकुड़ा और टूटा हुआ	6.0%	8.0%
	उत्तर प्रदेश	चमक विहीन	पूर्ण चमक युक्त	50 % तक
	राजस्थान	चमक विहीन	पूर्ण चमक युक्त	90 % तक
2020-21	मध्य प्रदेश	चमक विहीन	पूर्ण चमक युक्त	80% तक
	पंजाब	चमक विहीन	पूर्ण चमक युक्त	30% तक
	हरियाणा	सिकुड़ा और टूटा हुआ	6.0%	16 % तक
		चमक विहीन	पूर्ण चमक युक्त	50% तक
		सिकुड़ा और टूटा हुआ	6.0%	10% तक
	राजस्थान	चमक विहीन	पूर्ण चमक युक्त	50% तक
	उत्तर प्रदेश	चमक विहीन	पूर्ण चमक युक्त	30% तक
		सिकुड़ा और टूटा हुआ	6.0%	12% तक
2. धान				
2019-20	आंध्र प्रदेश	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए दाने	5.0%	10%
	उत्तर प्रदेश	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए दाने	5.0%	9.0%
	तमिलनाडु	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए दाने	5.0%	7.0%
	बिहार	नमी	17.0%	19.0%
2020-21	तमिलनाडु	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए दाने	5.0%	7.0%
		नमी	17.0%	20.0%
		अपरिपक्व, सिकुड़े और	3.0%	5.0%
3. चावल				
2019-20	आंध्र प्रदेश	क्षतिग्रस्त/मामूली रूप से क्षतिग्रस्त दाने	3.0%	4.0%
2020-21	खरीद विपणन मौसम 2020-21 के दौरान चावल की एक समान विनिर्दिष्टियों में कोई छूट नहीं दी गई है।			

टिप्पणी: 1. धान में छूट के दौरान क्षतिग्रस्त, अंकुरित और घुने हुए दाने 4% से अधिक नहीं होते हैं।

01.03.2021 की स्थिति के अनुसार

*****

अनुबंध-2

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 201 के उत्तर के भाग (ङ) में उल्लिखित अनुबंध

किसानों के लिए खाद्यान्नों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और किसानों से इनकी यथासमय खरीद करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) भारत सरकार फसलों के लिए बुआई मौसम की शुरूआत में न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद की जाती है।

(2) विवरण पत्रों, बैनरों, साइनबोर्डों, रेडियो, टीवी तथा प्रिंट एवं इलेट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(3) किसानों को विनिर्दिष्टियों के अनुरूप अपना उत्पाद लाने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु उन्हें गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों और खरीद प्रणाली आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

(4) उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण और परिवहन आदि जैसी अन्य संभार तंत्र/बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्र खोले जाते हैं। किसानों से उनकी उपज यथासमय खरीदने हेतु उनकी सुविधा के लिए प्रमुख स्थानों पर मौजूदा विनियमित मंडियों और डिपुओं/गोदामों के अलावा बड़ी संख्या में अस्थाई खरीद केंद्र भी खोले जाते हैं।

(5) किसान भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे प्राप्त करते हैं और खरीफ विपणन मौसम 2015-16 से चावल की खरीद की लेवी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें धान की समस्त खरीद केवल राज्य एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जानी है।

(6) राज्य एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को भुगतान इलेक्ट्रोनिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है। किसानों को भुगतान खरीद के 48 घण्टे के भीतर करने का प्रयास किया जा रहा है।

(7) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों ने अपनी स्वयं की ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है, जिसमें समुचित पंजीकरण के माध्यम से पारदर्शिता आती है तथा किसानों को आसानी होती है और वास्तविक खरीद की मानीटरिंग की जाती है।

(8) खरीद एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त ई-खरीद मॉड्यूल के माध्यम से किसानों को, घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य, निकटतम खरीद केन्द्र, जिस तारीख को किसानों को अपने उत्पाद खरीद केन्द्र पर लाने हैं, आदि के संबंध में नवीनतम/अद्यतन सूचना प्राप्त होती है। इससे न केवल किसानों द्वारा स्टॉक की डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा अवधि कम होती है, अपितु किसान अपनी सुविधानुसार निकटतम मंडी में स्टॉक की डिलीवरी कर सकता है।

*****